निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 कार्तिक 1941 (श0)

(सं0 पटना 1221) पटना, शुक्रवार, 8 नवम्बर 2019

परिवहन विभाग

———————

अधिसूचना

7 नवम्बर 2019

सं0 06/वायु गुणवत्ता–09–11/2019 परि0–8183––पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत प्रदूषण की खतरनाक स्थिति के मद्देनजर वाहनजनित प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा–115 के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी दिनांक 31.01.2021के मध्य रात्रि से पटना नगर निगम तथा दिनांक 31.03.2021 के मध्य रात्रि से दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र की सीमा में डीजल चालित तिपहिया वाहन के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। फलस्वरूप वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार के उद्देश्य से स्वच्छ ईंधन चालित वाहन (CNGएवं बैट्री चालित वाहन) के परिचालन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा **बिहार स्वच्छ ईंधन योजना, 2019** तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ –

(i) इस योजना का नाम ''**बिहार स्वच्छ ईंधन योजना, 2019**'' होगा ।

(ii) वर्तमान में इसका विस्तार पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र में होगा। निकट भविष्य में अन्य शहरों में भी इसका विस्तार किया जा सकेगा।

(iii) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2. योजना का उद्देश्यः–

''**बिहार स्वच्छ ईंधन योजना, 2019**'' का मुख्य उद्देश्य पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र में डीजल चालित तिपहिया वाहनों का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित किए जाने के क्रम में CNG चालित एवं बैट्री चालित तिपहिया वाहनों के परिचालन को प्रोत्साहित करना है, ताकि वाहन जनित प्रदूषण को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सके। इस क्रम में पुराने डीजल चालित तिपहिया वाहन स्वामियों को CNG अथवा बैट्री चालित वाहन से प्रतिस्थापित किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन के रूप में ''अनुदान राशि'' का भुगतान किया जायेगा। साथ ही पेट्रोल चालित तिपहिया वाहनों के स्वामियों को भी नए CNG चालित अथवा बैट्री चालित तिपहिया वाहन से प्रतिस्थापित करने अथवा पेट्रोल चालित तिपहिया वाहनों, मैक्सी कैब तथा मोटरकैब में CNGकिट केRetrofitment के लिए भी अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा ।

3 योजना के लिए अर्हताः–

इस योजना के अंतर्गत डीजल चालित एवं पेट्रोल चालित तिपहिया वाहनों, मैक्सी कैब एवं मोटर कैब के ऐसे वाहन स्वामी आच्छादित किये जाएँगे, जिन्हें वर्तमान में पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत परिचालन के लिए सक्षम प्राधिकार से परमिट प्राप्त हो तथा वहवैधता अवधि के अन्तर्गत हो।

4. योजना की शर्तेः–

इस योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये नये CNG चालित अथवा बैट्री चालित तिपहिया वाहन अथवाCNGकिटRetrofitmentकराये गये वाहनों को, उन वाहन स्वामियों को पूर्व स्वीकृत ''परमिट'' पर ही प्रतिस्थापन की सुविधा, मोटरवाहन अधिनियम, 1988 एवं बिहार मोटरवाहन नियमावली, 1992 के अन्य प्रासंगिक नियमों का पालन करते हुए दी जायेगी। इन वाहनों का उक्त परमिट पर प्रतिस्थापन उच्च प्राथमिकता के तौर पर किया जायेगा।

5. वित्तपोषणः–

इस योजना के अन्तर्गत लाभुक (वाहन स्वामी) स्वेच्छा से CNG चालित अथवा बैट्री चालित तिपहिया वाहनों का क्रय कर सकेंगे तथा CNGकिट का Retrofitment करा सकेंगे। इस क्रम में वे किसी बैंक अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान से वित्तपोषण हेतु स्वतंत्रहोंगे।

6. योजना का कार्यान्वयन एवं योजना अवधि :–

योजना का कार्यान्वयन पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद एवं फुलवारी शरीफ नगर परिषद क्षेत्र के अन्तर्गत ''पहले आओ–पहले पाओ'' की नीति के अनुरूप दो वर्षों की अवधि में वर्षवार निर्धारित लक्ष्य के अनुसार किया जायेगा। डीजल चालित तिपहिया वाहनों को पूर्णरूपेण CNG चालित अथवा बैट्री चालित तिपहिया वाहनों से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

7. बजटीय उपबंधः–

''बिहार स्वच्छ ईंधन योजना, 2019'' के तहत ''अनुदान'' राशि के भुगतान हेतु ''राज्य योजना'' मद से नई योजना के रूप में पृथक शीर्ष/इकाई के अंतर्गत वित्त विभाग की सहमति से बजटीय उपबंध किया जायेगा एवं संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी को आवंटित किया जायेगा। इस राशि से लाभुक को अनुदान स्वरूप भुगतान हेतु ''निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी होंगे। इस योजना में दो वर्षों में तीस करोड़ (30 करोड़) रूपये का व्यय संभावित है।

8. अनुदान विमुक्ति की प्रक्रिया एवं भुगतानः–

लाभुक द्वारा CNG चालित अथवा बैट्री चालित नए तिपहिया वाहन का क्रय अथवा CNG किट के Retrofitment के पश्चात् जिला परिवहन कार्यालय द्वारा क्रमशः उनके नये निबंधन प्रमाण पत्र अथवा निबंधन प्रमाण पत्र में अपेक्षित पृष्ठांकन के पश्चात् सक्षम प्राधिकार द्वारा पूर्व स्वीकृत परमिट पर नियमानुसार वाहन प्रतिस्थापन की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। इसके लिए वाहन स्वामी को बैट्री चालित अथवा CNG चालित तिपहिया वाहन क्रय करने के पश्चात् पूर्व स्वीकृत परमिट को सक्षम प्राधिकार के कार्यालय में प्रत्यर्पित करना होगा। लाभुक द्वारा निम्नांकित कागजात जिला परिवहन कार्यालय में अनुदान भुगतान के आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित होगाः–

(i) पुराने वाहन का निबंधन प्रमाणपत्र (RC)

(ii) नये वाहन का निबंधन प्रमाण पत्र(RC)

(iii) नए बैट्री चालित अथवा CNG चालित तिपहिया वाहन क्रय की स्थिति में पूर्व स्वीकृत परमिट प्रत्यर्पण का प्रमाण।

(iv) पूर्व निर्गत परमिट पर नये CNG चालित तिपहिया वाहन अथवा बैट्री चालित तिपहिया वाहन के प्रतिस्थापन का प्रमाण।

(v) नये वाहन का वैध बीमा प्रमाण पत्र ।

(vi) Retrofitmentकिट वाले वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र ।

(vii) लाभुक का आधार कार्ड ।

(viii) लाभुक के बैंक खाता की विवरणी।

(ix) इस आशय का स्वघोषणा पत्रः– ''पूर्व धारित वाहन का परिचालन पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद, फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र में नहीं किया जायेगा।''

इस प्रक्रिया से संतुष्ट होकर जिला परिवहन पदाधिकारी प्रासंगिक योजना मद के बजटीय उपबंध से अनुदान की राशि विमुक्त करेंगे एवं CFMS द्वारा लाभुक के बैंक खाते में अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे।

9. वाहन कोटिवार अनुदान की अनुमान्यताः–

आगामी दिनांक 31.01.2021 तक अथवा इससे पूर्व पटना नगर निगम क्षेत्र के तथा दिनांक 31.03.2021 तक अथवा इससे पूर्व दानापुर नगर परिषद क्षेत्र, खगौल नगर परिषद क्षेत्र एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र के वैध परमिटधारी डीजल चालित एवं पेट्रोल चालित तिपहिया वाहन के स्वामी द्वारा नये CNG चालित अथवा बैट्री चालित

तिपहिया वाहन से प्रतिस्थापन एवं पेट्रोल चालित तिपहिया वाहन अथवा मोटरकैब तथा मैक्सीकैब से संबंधित वाहन स्वामियों द्वारा CNG किट के Retrofitment हेतु आर्थिक सहायता के रूप में इस योजना से आच्छादित लाभुकों को वाहन कोटिवार निम्न विकल्पों के अनुसार अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगाः—

(i) डीजल चालित एवं पेट्रोल चालित तिपहिया वाहन, जिसकी बैठान क्षमता 7 व्यक्तियों (चालक सहित) तक है, को नये CNG चालित तिपहिया वाहन से प्रतिस्थापित करने पर 40,000/रू0— (चालीस हजार रू0 मात्र) एकमुश्त।

(ii) डीजल चालित एवं पेट्रोल चालित तिपहिया वाहन, जिसकी बैठान क्षमता 7 व्यक्तियों (चालक सहित) तक है, को नये बैट्री चालित तिपहिया वाहन से प्रतिस्थापित करने पर 25,000/रू0— (पच्चीस हजार रू0 मात्र) एकमुश्त।

(iii) पेट्रोल चालित तिपहिया वाहन, जिसकी बैठान क्षमता 7 व्यक्तियों (चालक सहित) तक है, उनमें CNGकिट के Retrofitment कराने पर 20,000/रू0— (बीस हजार रू0 मात्र) एकमुश्त,

(iv) व्यवसायिक मोटरकैब तथा मैक्सी कैब में CNGकिट के Retrofitmentकराने पर 20,000/रू0— (बीस हजार रू0 मात्र) एकमुश्त।

(v) कंडिका—9 (i) एवं 9 (ii) में वर्णित तिपहिया वाहन, जिन्हें इस स्कीम के तहत प्रतिस्थापन हेतु अनुदान दिया जायेगा, वैसे प्रतिस्थापित (पुराने) वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र के आधार पर प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर परिचालन हेतु परमिट दिया जा सकेगा।

(vi) स्कीम पर होनेवाले व्यय के अनुरूप वित्त विभागीय संकल्प संख्या—3758 दिनांक 31.05.2017 के अनुसार सक्षम समीक्षा प्राधिकार एवं स्वीकृति प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

10. योजना का विवेचन तथा संशोधन :—

इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत प्रक्रिया विभागीय वेबसाईट www.transport.bih.nic.in पर प्रकाशित किया जायेगा एवं इस योजना के किसी कंडिका के विवेचन तथा आवश्यकतानुसार योजना में संशोधन या परिवर्तन के लिए परिवहन विभाग सक्षम प्राधिकार होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1221-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या:–06/वायु गुणवत्ता–09–11/2019 परि0 8183 /पटना, दिनांक 2/11/19

पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत प्रदूषण की खतरनाक स्थिति के मद्देनजर वाहनजनित प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा–115 के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी दिनांक 31.01.2021 के मध्य रात्रि से पटना नगर निगम तथा दिनांक 31.03.2021 के मध्य रात्रि से दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र की सीमा में डीजल चालित तिपहिया वाहन के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। फलस्वरूप वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार के उद्देश्य से स्वच्छ ईंधन चालित वाहन (CNG एवं बैट्री चालित वाहन) के परिचालन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा **बिहार स्वच्छ ईंधन योजना, 2019** तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ** –

(i) इस योजना का नाम "**बिहार स्वच्छ ईंधन योजना, 2019**" होगा ।

(ii) वर्तमान में इसका विस्तार पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र में होगा। निकट भविष्य में अन्य शहरों में भी इसका विस्तार किया जा सकेगा।

(iii) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2. **योजना का उद्देश्य:–**

"**बिहार स्वच्छ ईंधन योजना, 2019**" का मुख्य उद्देश्य पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र में डीजल चालित तिपहिया वाहनों का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित किए जाने के क्रम में CNG चालित एवं बैट्री चालित तिपहिया वाहनों के परिचालन को प्रोत्साहित करना है, ताकि वाहन जनित प्रदूषण को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सके। इस क्रम में पुराने डीजल चालित तिपहिया वाहन स्वामियों को CNG अथवा बैट्री चालित वाहन से प्रतिस्थापित किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन के रूप में "अनुदान राशि" का भुगतान किया जायेगा। साथ ही पेट्रोल चालित तिपहिया वाहनों के स्वामियों को भी नए CNG चालित अथवा बैट्री चालित तिपहिया वाहन से प्रतिस्थापित करने अथवा पेट्रोल चालित तिपहिया वाहनों, मैक्सी कैब तथा मोटरकैब में CNG किट के Retrofitment के लिए भी अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा ।

3 **योजना के लिए अर्हता:–**

इस योजना के अंतर्गत डीजल चालित एवं पेट्रोल चालित तिपहिया वाहनों, मैक्सी कैब एवं मोटर कैब के ऐसे वाहन स्वामी आच्छादित किये जाएँगे, जिन्हें वर्तमान में पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत परिचालन के लिए सक्षम प्राधिकार से परमिट प्राप्त हो तथा वह वैधता अवधि के अन्तर्गत हो।

4. **योजना की शर्तें:–**

इस योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये नये CNG चालित अथवा बैट्री चालित तिपहिया वाहन अथवा CNG किट Retrofitment कराये गये वाहनों को, उन वाहन स्वामियों को पूर्व स्वीकृत "परमिट" पर ही प्रतिस्थापन की सुविधा, मोटरवाहन अधिनियम, 1988 एवं बिहार मोटरवाहन नियमावली, 1992 के अन्य प्रासंगिक नियमों का पालन करते

हुए दी जायेगी। इन वाहनों का उक्त परमिट पर प्रतिस्थापन उच्च प्राथमिकता के तौर पर किया जायेगा।

5. **वित्तपोषणः—**

इस योजना के अन्तर्गत लाभुक (वाहन स्वामी) स्वेच्छा से CNG चालित अथवा बैट्री चालित तिपहिया वाहनों का क्रय कर सकेंगे तथा CNG किट का Retrofitment करा सकेंगे। इस क्रम में वे किसी बैंक अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान से वित्तपोषण हेतु स्वतंत्र होंगे।

6. **योजना का कार्यान्वयन एवं योजना अवधि :—**

योजना का कार्यान्वयन पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र के अन्तर्गत "पहले आओ—पहले पाओ" की नीति के अनुरूप दो वर्षों की अवधि में वर्षवार निर्धारित लक्ष्य के अनुसार किया जायेगा। डीजल चालित तिपहिया वाहनों को पूर्णरूपेण CNG चालित अथवा बैट्री चालित तिपहिया वाहनों से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

7. **बजटीय उपबंधः—**

"बिहार स्वच्छ ईंधन योजना, 2019" के तहत "अनुदान" राशि के भुगतान हेतु "राज्य योजना" मद से नई योजना के रूप में पृथक शीर्ष/इकाई के अंतर्गत वित्त विभाग की सहमति से बजटीय उपबंध किया जायेगा एवं संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी को आवंटित किया जायेगा। इस राशि से लाभुक को अनुदान स्वरूप भुगतान हेतु "निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी होंगे। इस योजना में दो वर्षों में तीस करोड़ (30 करोड़) रूपये का व्यय संभावित है।

8. **अनुदान विमुक्ति की प्रक्रिया एवं भुगतानः—**

लाभुक द्वारा CNG चालित अथवा बैट्री चालित नए तिपहिया वाहन का क्रय अथवा CNG किट के Retrofitment के पश्चात् जिला परिवहन कार्यालय द्वारा क्रमशः उनके नये निबंधन प्रमाण पत्र अथवा निबंधन प्रमाण पत्र में अपेक्षित पृष्ठांकन के पश्चात् सक्षम प्राधिकार द्वारा पूर्व स्वीकृत परमिट पर नियमानुसार वाहन प्रतिस्थापन की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। इसके लिए वाहन स्वामी को बैट्री चालित अथवा CNG चालित तिपहिया वाहन क्रय करने के पश्चात् पूर्व स्वीकृत परमिट को सक्षम प्राधिकार के कार्यालय में प्रत्यर्पित करना होगा। लाभुक द्वारा निम्नांकित कागजात जिला परिवहन कार्यालय में अनुदान भुगतान के आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित होगाः—

(i) पुराने वाहन का निबंधन प्रमाणपत्र (RC)

(ii) नये वाहन का निबंधन प्रमाण पत्र (RC)

(iii) नए बैट्री चालित अथवा CNG चालित तिपहिया वाहन क्रय की स्थिति में पूर्व स्वीकृत परमिट प्रत्यर्पण का प्रमाण।

(iv) पूर्व निर्गत परमिट पर नये CNG चालित तिपहिया वाहन अथवा बैट्री चालित तिपहिया वाहन के प्रतिस्थापन का प्रमाण।

(v) नये वाहन का वैध बीमा प्रमाण पत्र ।

(vi) Retrofitment किट वाले वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र ।

(vii) लाभुक का आधार कार्ड ।

(viii) लाभुक के बैंक खाता की विवरणी।

(ix) इस आशय का स्वघोषणा पत्रः— "पूर्व धारित वाहन का परिचालन पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद, फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र में नहीं किया जायेगा।"

इस प्रक्रिया से संतुष्ट होकर जिला परिवहन पदाधिकारी प्रासंगिक योजना मद के बजटीय उपबंध से अनुदान की राशि विमुक्त करेंगे एवं CFMS द्वारा लाभुक के बैंक खाते में अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे।

9. <u>वाहन कोटिवार अनुदान की अनुमान्यताः–</u>

आगामी दिनांक 31.01.2021 तक अथवा इससे पूर्व पटना नगर निगम क्षेत्र के तथा दिनांक 31.03.2021 तक अथवा इससे पूर्व दानापुर नगर परिषद क्षेत्र, खगौल नगर परिषद क्षेत्र एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र के वैध परमिटधारी डीजल चालित एवं पेट्रोल चालित तिपहिया वाहन के स्वामी द्वारा नये CNG चालित अथवा बैट्री चालित तिपहिया वाहन से प्रतिस्थापन एवं पेट्रोल चालित तिपहिया वाहन अथवा मोटरकैब तथा मैक्सीकैब से संबंधित वाहन स्वामियों द्वारा CNG किट के Retrofitment हेतु आर्थिक सहायता के रूप में इस योजना से आच्छादित लाभुकों को वाहन कोटिवार निम्न विकल्पों के अनुसार अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगाः–

(i) डीजल चालित एवं पेट्रोल चालित तिपहिया वाहन, जिसकी बैठान क्षमता 7 व्यक्तियों (चालक सहित) तक है, को नये CNG चालित तिपहिया वाहन से प्रतिस्थापित करने पर 40,000/रू0– (चालीस हजार रू0 मात्र) एकमुश्त।

(ii) डीजल चालित एवं पेट्रोल चालित तिपहिया वाहन, जिसकी बैठान क्षमता 7 व्यक्तियों (चालक सहित) तक है, को नये बैट्री चालित तिपहिया वाहन से प्रतिस्थापित करने पर 25,000/रू0– (पच्चीस हजार रू0 मात्र) एकमुश्त।

(iii) पेट्रोल चालित तिपहिया वाहन, जिसकी बैठान क्षमता 7 व्यक्तियों (चालक सहित) तक है, उनमें CNG किट के Retrofitment कराने पर 20,000/रू0– (बीस हजार रू0 मात्र) एकमुश्त,

(iv) व्यवसायिक मोटरकैब तथा मैक्सी कैब में CNG किट के Retrofitment कराने पर 20,000/रू0– (बीस हजार रू0 मात्र) एकमुश्त।

(v) कंडिका–9 (i) एवं 9 (ii) में वर्णित तिपहिया वाहन, जिन्हें इस स्कीम के तहत प्रतिस्थापन हेतु अनुदान दिया जायेगा, वैसे प्रतिस्थापित (पुराने) वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र के आधार पर प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर परिचालन हेतु परमिट दिया जा सकेगा।

(vi) स्कीम पर होनेवाले व्यय के अनुरूप वित्त विभागीय संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 के अनुसार सक्षम समीक्षा प्राधिकार एवं स्वीकृति प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

10. <u>योजना का विवेचन तथा संशोधन :–</u>

इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत प्रक्रिया विभागीय वेबसाईट www.transport.bih.nic.in पर प्रकाशित किया जायेगा एवं इस योजना के किसी कंडिका के विवेचन तथा आवश्यकतानुसार योजना में संशोधन या परिवर्तन के लिए परिवहन विभाग सक्षम प्राधिकार होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
6/11/19
(संजय कुमार अग्रवाल)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–06/वायु गुणवत्ता–09–11/2019 परि0 8183 पटना, दिनांक– 7/11/19

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के अ साधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

6/11/19
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–06 / वायु गुणवत्ता–09–11 / 2019 परि0...8183 पटना, दिनांक–7/11/19

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, वित्त विभाग / प्रधान सचिव, विधि विभाग / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–06 / वायु गुणवत्ता–09–11 / 2019 परि0...8183......., पटना, दिनांक–7/11/19

प्रतिलिपिः–राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार / सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार / सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार / मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित) / सभी प्रवर्त्तन पदाधिकारी / सभी मोटरयान निरीक्षक / सभी प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–06 / वायु गुणवत्ता–09–11 / 2019 परि0...8183 पटना, दिनांक–7/11/19

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार, सरकार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव